

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

नीलामी सूचना

दिनांक 22.03.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश संत कबीर नगर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में स्थित अस्थायी दुकानों एवं वाहन स्टैण्ड की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति में दिनांक 29.03.2022 को अपराह्न 04.30 बजे न्यायालय भवन के भूतल में स्थित सभागार कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में केन्द्रीय नजारत से दुकान नीलामी विवरण एवं नीलामी शर्तें प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नीलाम होने वाली अस्थाई दुकानों एवं वाहन स्टैण्ड / पार्किंग का विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	प्रयोजन
01.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल पूर्वी छोर में (25*19) फीट, दुकान नं 01	जलपान
02.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल पश्चिमी छोर में (25*19) फीट, दुकान नं 06	जलपान
03.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल में (20*19) फीट, दुकान नं 03	फल एवं फल जूस
04.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल में (10*19) फीट, दुकान नं 02	फोटोस्टेट
05.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल में (10*19) फीट, दुकान नं 05	फोटोस्ट
06.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़जे के बगल में (08*19) फीट, दुकान नं 04	फोटोग्राफी
07.	न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में स्थित ADR भवन के दक्षिण तरफ (20814 वर्ग फीट)	स्टैण्ड /पार्किंग

यह ठेका दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के लिए वैध होगा।

न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में पूर्व में आवंटित हुए ठेकों से सम्बन्धित किसी भी ठेकेदार द्वारा यदि कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) प्रारम्भ की जायेगी। निर्धारित धरोहर धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, किसी प्रकार का चेक/ड्राफ्ट/बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी प्रकार के परिवर्तन व धरोहर राशि में वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति एवं किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज, संत कबीर नगर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(अनिल कुमार वशिष्ठ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु -

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
- 3- नोटिस बोर्ड तहसीलदार सदर, संत कबीर नगर।
- 4- नोटिस बोर्ड नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संत कबीर नगर।
- 5- नोटिस बोर्ड जनपद / सिविल बार एशोसिएसन, संत कबीर नगर।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर, वास्ते कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल कुमार वशिष्ठ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज-प्रथम
संत कबीर नगर।